न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

शिविर प्रभारी अधिकारी (सचिव, नगर सुधार प्रन्यास, बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री शैलेश सुराणा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नंबर /2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा		1. अणछाराम, हनुमानराम, वोताराम, सोमाराम, पि0 हाथीराम, नेनू देवी पत्नि हाथीराम 2. नवाराम, जगनाराम पि0 गिरधारीराम राणाराम पुत्र गणेशाराम, अणदा पुत्र मोटा, नोजी पत्नि मोटा कौम कलबी निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू–अभिलेख नियम 1970

आदेश दिनांक 14.11.2021

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते/सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। ग्राम बुड़ीवाड़ा में जीएसएस से पचवाड़िया बेरा तक रास्ता वर्तमान में चल रहा है। ग्राम बुड़ीवाड़ा के खसरा नम्बर 1004/420 रकबा 1–10 बीघा में से 1–10 बीघा भूमि में उक्त रास्ता चल रहा है, जिसका नजरी नक्शा प्रस्तावित रास्ता बरंग लाल में प्रस्तावित किया गया है, उक्त रास्ते को कटान रास्ता दर्ज करने का निवेदन किया गया।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम सपठित नियम 60 भू अभिलेख नियम 1970 को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रशासन गांवों के संग अभियान कोर्ट कैम्प [illegible] विप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए तथा रास्ता कटान किये जाने की सहमति [illegible] का शपथ–पत्र भी पेश किया गया। तहसीलदार पचपदरा [illegible] जाहिर किया कि उक्त रास्ते [illegible] कटान रास्ता दर्ज करने से भूमि संबंधित खाते में खातेदार के [illegible] ही दर्ज होगी, इससे आ[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:24 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, बल्कि रास्ता आमजन के लिए अधिक सुविधा जनक होगा। चूंकि राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/ खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे रास्ते/सडक के रूप मे अभिलिखित नही है, को रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये गये है। खातेदारान स्वयं द्वारा भी उक्त गैमु. रास्ता दर्ज कराने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया, बाद अवलोकन समूची स्थिति पर विवेचन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण ग्राम बुड़ीवाड़ा में जीएसएस से पचवाड़िया बेरा तक जाने वाला रास्ता जो कि मौके पर आम पब्लिक द्वारा रास्ते के रूप में उपयोग/उपभोग में लिया जा रहा है, को राजस्व रेकर्ड में कटान रास्ते के रूप में दर्ज कराने से सम्बन्धित है। राज्य सरकार के आदेश कमांक प3(2)राज--6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि/खातेदारी भूमि मे वर्तमान मे चल रहे बारहमासी रास्ते/ ग्रेवल सडक/ डामर सडक जो राजस्व रेकर्ड मे कटान रास्ते /सडक के रूप मे अभिलिखित नही है लेकिन मौके पर पुराने समय से रास्ता चालू हालत मे मौजूद है तथा आम पब्लिक रास्ते को आवागमन के उपयोग/उपभोग मे ले रहे है, को राजस्व रेकर्ड में कटान रास्ते के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिये गये है। प्रस्तावित रास्ता भूमि ग्राम बुड़ीवाड़ा के खसरा नं. 1004/420 रकबा 1–10 बीघा के समस्त खातेदारान भी उक्त भूमि की किस्म राजस्व रेकर्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज कराने हेतु सहमत है। ऐसे में प्रार्थी भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी तहसीलदार पचपदरा के द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना–पत्र को विप्रार्थीगण की सहमति से स्वीकार कर ग्राम बुड़ीवाड़ा के खसरा नम्बर 1004/420 रकबा 1–10 बीघा में से 1–10 बीघा, भूमि किस्म चा.अ. को बुड़ीवाड़ा जीएसएस से पचवाड़िया बेरा तक के रास्ते हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा रास्ता बरंग लाल परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व रेकर्ड में भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता अंकन करने का आदेश तहसीलदार पचपदरा को दिये जाते है। उक्त रास्ते का रकबा पूर्ववत अनुसार संबंधित खातेदारान के नाम खाते में ही यथावत् दर्ज रहेगा। तरमीम खतोनी परिशिष्ट 'अ' एवं प्रस्तावित नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग रहेगा ।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2021 को केम्प कोर्ट असाड़ा में मजमें आम में सुनाया गया।

14.11.21

(शैलेश सुराणा)
(सचिव, नगर सुधार प्रन्यास, बाड़मेर)
शिविर प्रभारी अधिकारी
(केम्प कोर्ट असाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
प्रभारी अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 19:15:24 IST
Reason: SelfAttested